भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 76

25.11.2024 को उत्तर के लिए

संकटापन्न प्रजातियों का संरक्षण

76. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान संरक्षण कार्यक्रमों, अभयारण्यों और पर्यावास बहाली परियोजनाओं सहित संकटापन्न प्रजातियों की संरक्षा के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) संपूर्ण देश विशेष रूप से आंध्र प्रदेश राज्य में सकंटापन्न प्रजातियों की संख्या के रूझान संबंधी जिले-वार प्रजाति-वार और क्षेत्र-वार आँकडे क्या हैं और पिछले पांच वर्षों के दौरा क्या परिवर्तन दर्ज किए गए हैं;

(ग) विशेष रूप से आंध्र प्रदेश राज्य में, वन्यजीव अभयारण्य, अवैध शिकार विरोधी प्रयासों और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों के लिए सहायता सहित संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि का जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार, गैर सरकारी संगठनों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों या निजी संस्थाओं के बीच संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण पर संकेंद्रित सहयोग का ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(ङ) आंध्र प्रदेश राज्य में पिछले पांच वर्षों के दौरान संकटापन्न प्रजातियों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार के जिले-वार आंकड़े क्या हैं और इस संबंध में प्रजाति-वार और क्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई है और क्या दंड दिया गया है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) सरकार ने वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिए गए हैं:

i. वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के उपबंधों के तहत संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, सामुदायिक रिजर्व और संरक्षण रिजर्व) का सृजन किया गया है।

ii. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के तहत वन्यजीवों के संरक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास पारि-संवेदी क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है।

iii. पशुओं की दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों को उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करते हुए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम की अनुसूची-I में सूचीबद्ध किया गया है।

iv. 'बाघ और हाथी परियोजना' और 'वन्यजीव पर्यावासों के विकास' की केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत आंध्र प्रदेश राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

v. 'वन्यजीव पर्यावासों के विकास' की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत अभिज्ञात की गई 22 प्रकार की गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजातियों के लिए प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम को शुरू किया गया है।

vi. वन्य पशुओं और पशुओं के अंगों के अवैध वन्यजीव व्यापार के संबंध में आसूचना एकत्र करने और वन्यजीव कानूनों के प्रवर्तन में अंतरराज्यीय और सीमापारीय सहयोग प्राप्त करने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो स्थापित किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर बाघों और तेंदुओं की संख्या का आकलन हर चार वर्ष में एक बार राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। पिछले दो आकलनों में बाघों और तेंदुओं की संख्या का विवरण क्रमशः **अनुलग्नक-I** और **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग) 'बाघ और हाथी परियोजना' और 'वन्यजीव पर्यावासों के विकास' की केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई धन राशि का विवरण **अनुलग्नक-III** और **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।

(घ) भारत, वन्य जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन, अंतरराष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग, विश्व विरासत कन्वेंशन का पक्षकार है और इन कन्वेंशनों के तहत दायित्वों को लागू कर रहा है। इसके अलावा, मंत्रालय जीईएफ एजेंसियों के सहयोग से वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) वित्त पोषित परियोजनाओं को भी लागू कर रहा है।

(ङ) आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2020-21 से संकटापन्न प्रजातियों से जुड़े अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**वर्ष**	**जिला /प्रभाग**	**प्रजातियों का नाम**	**अवैध शिकार/अवैध वन्यजीव व्यापार की संख्या**
1	2020-21	राजमुंदरी	तेंदुआ	1
		कुरनूल	काला हिरण	2
2	2021-22	कुरनूल	काला हिरण	1
3	2022-23	कुरनूल	काला हिरण	12
4	2023-24	गुंटूर	बाघ	1
5	2024-25	चित्तूर	तेंदुआ	1
कुल मामलों की संख्या				**18**

*****

अनुलग्नक-I

'संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण' के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 76 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

भारत में बाघों की संख्या के अनुमान का विवरण

राज्य	बाघों की संख्या	
	2018	**2022**
शिवालिक हिल्स और गंगा के मैदानी भूदृश्य		
बिहार	31	54
उत्तराखंड	442	560
उत्तर प्रदेश	173	205
शिवालिक गंगा	**646**	**819****
मध्य भारतीय परिदृश्य और पूर्वी घाट		
आंध्र प्रदेश	48	63
तेलंगाना	26	21
छत्तीसगढ़	19	17
झारखंड	5	1*
मध्य प्रदेश	526	785
महाराष्ट्र	312	444
ओडिशा	28	20
राजस्थान	69	99
मध्य भारत और पूर्वी घाट	**1033**	**1439**
पश्चिमी घाट भूदृश्य		
गोवा	3	5
कर्नाटक	524	563
केरल	190	213
तमिलनाडु	264	306
पश्चिमी घाट	**981**	**1087**
पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ और ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदान		
अरुणाचल प्रदेश	29#	9
असम	190	229
नगालैंड	0	0
उत्तरी पश्चिम बंगाल	0	2
उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ और ब्रह्मपुत्र	**219**	**236**
सुंदरबन	88	101
कुल	**2967**	**3682**

***: स्कैट डीएनए आधारित जनसंख्या**

****: रानीपुर (उत्तर प्रदेश) को सुविधा के लिए शिवालिक परिदृश्य में जोड़ा गया है**

#: मैक्सएंट अनुमानित जनसंख्या, इसका उपयोग रुझानों की तुलना करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए

अनुलग्नक- II

'संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण' के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 76 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वर्ष 2018 और 2022 से प्रत्येक भूदृश्य में तेंदुओं की अनुमानित संख्या

राज्य	**2018 में संख्या**	**2022 में संख्या**
बिहार	98	86
उत्तराखंड	839	652
उत्तर प्रदेश	316	371
शिवालिक पहाड़ियाँ और गंगा के मैदान	**1253**	**1109**
आंध्र प्रदेश	492	569
तेलंगाना	334	297
छत्तीसगढ	852	722
झारखंड	46	51
मध्य प्रदेश	3421	3907
महाराष्ट्र	1690	1985
ओडिशा	760	568
राजस्थान	476	721
मध्य भारत और पूर्वी घाट	**8071**	**8820**
गोवा	86	77
कर्नाटक	1783	1879
केरल	650	570
तमिलनाडु	868	1070
पश्चिमी घाट	**3387**	**3596**
अरुणाचल प्रदेश	11	42
असम	47	74
उत्तरी पश्चिम बंगाल	83	233
उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ और ब्रहमपुत्र बाढ़ के मैदान	**141**	**349**
कुल	**12,852**	**13,874**

अनुलग्नक- III

'संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण' के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 76 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान सीएसएस - 'बाघ और हाथी परियोजना' के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जारी की गई धनराशि का विवरण

(रुपये लाख में)

क्र सं	राज्य	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24
		बाघ परियोजना	हाथी परियोजना	बाघ परियोजना	हाथी परियोजना	बाघ परियोजना	हाथी परियोजना	बाघ परियोजना	हाथी परियोजना	* बाघ और हाथी परियोजना
1.	आंध्र प्रदेश	114.48	127.03	266.51	77.28	292.11	20.5565	0.00	0.00	149.421
2.	अरुणाचल प्रदेश	846.31	103.26831	803.76	282.256	869.08	157.7615	0.00	26.8875	1119.9145
3.	असम	2198.76	-	2513.90	35.284	1476.75	126.716	336.22	167.4	2619.30784
4.	बिहार	562.84	57.02752	628.89	39.08	552.72	-	0.00	0.00	308.9825
5.	छत्तीसगढ	358.53	-	471.16	-	355.85	24.785	82.88	0.00	292.855
6.	हरियाणा	0.00	16.80	0.00	11.04	0.00	4.2345	0.00	17.4	26.1
7.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.61
8.	झारखंड	1432.07	161.44438	128.45	111.86522	195.06	86.682	17.26	78.05	405.785
9.	कर्नाटक	2252.03	412.48239	2118.01	330.40376	2956.70	261.195	235.24	97.8453	2613.0834
10	केरल	607.07	432.132	402.88	574.56	868.78	580.96765	417.59	270.09	996.22425
11	मध्य प्रदेश	3501.91	13.695	2551.26	-	3523.52	12.613	1172.51	11.388	4303.794
12	महाराष्ट्र	7220.39	44.1944	3098.03	17.98	2991.06	-	0.00	28.524	2614.45167
13	मणिपुर	0.00	10.944	0.00	-	0.00	5.40	0.00	0.00	14.121
14	मेघालय	0.00	177.8976	0.00	9.36	0.00	141.75	0.00	32.14	65.25
15	मिजोरम	337.70	-	161.53	-	374.13	-	0.00	0.00	144
16	नगालैंड	0.00	213.9498	0.00	92.50	0.00	279.759	0.00	235.575	337.77
17	ओडिशा	1303.32	387.036	680.07	577.99	1056.86	567.045	190.27	212.7695	1012.58764
18	राजस्थान	1203.19	35.28	1008.89	-	841.05	15.18	0.00	6.18609	968.3004
19	तमिलनाडु	1586.91	275.1576	1336.14	-	1576.22	181.8464	0.00	85.9405	2547.96648
20	तेलंगाना	359.91	-	351.97	-	543.26	-	0.00	0	323.308
21	त्रिपुरा	0.00	45.38	0.00	24.71	-	-	0.00	7.36516	27.0855
22	उत्तराखंड	1242.49	417.312	1671.30	204.85	1463.71	244.12375	0.00	18.7415	1495.5241
23	उत्तर प्रदेश	2289.18	37.74	923.29	-	1304.85	45.993	0.00	9.858	1031.9767
24	पश्चिम बंगाल	758.47	113.254	333.96	64.1958	708.28	87.8717	0.00	30.05	522.58101
		28175.56	**3082.025**	**19450.00**	**2453.355**	**21949.99**	**2844.48**	**2034.38**	**1336.211**	**23960**

अनुलग्नक- IV

'संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण' के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 76 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान सीएसएस-'वन्यजीव पर्यावासों के विकास' के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जारी की गई धनराशि का विवरण

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	132.64	0	135.77	25.125	0
2	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	512.69	312.5865	419.80617	276.44062	672.462
4	असम	164.26	0	0	209.1464	565.10763
5	बिहार	148.142	205.1644	410.85952	0	336.37223
6	चंडीगढ़	0	25.16	0	21.6241	16.498
7	छत्तीसगढ	310.0318	104.35936	274.5903	104.457	116.24868
8	गोवा	111.654	0	0	0	50.10
9	गुजरात	0	124.5849	0	200.01	206.99
10	हरियाणा	237.6078	18.2212	127.331	30.1575	167.85
11	हिमाचल प्रदेश	375.76554	187.63518	197.09452	114.3205	94.15328
12	जम्मू एवं कश्मीर	0	80.62863	0	0	69.57972
13	झारखंड	93.96	198.2265	79.53315	0	14.91025
14	कर्नाटक	739.046	586.126341	1256.59314	291.71146	581.52346
15	केरल	845.026	731.2845	295.7737	224.4735	921.0361
16	मध्य प्रदेश	629.266	801.60127	389.34906	265.5508	471.81959
17	महाराष्ट्र	715.781	146.08135	0	350.3879	554.69645
18	मणिपुर	396.455	241.11948.	142.50646	180.64379	231.72407
19	मेघालय	238.839	263.50463	530.51253	0	243.56611
20	मिजोरम	431.79	339.60855	198.9678	190.1977	304.207
21	नगालैंड	953.69	260.00105	342.0315	725.6565	1306.3275
22	ओडिशा	701.504	694.18819	726.80273	967.4976	1005.08612
23	राजस्थान	741.315	309.12634	1007.64845	86.78886	0
24	सिक्किम	557.355	349.623	182.97174	239.66048	187.03237
25	तमिलनाडु	409.505	334.0354	390.75715	132.95205	373.8902
26	तेलंगाना	0	36.59304	0	0	0
27	उत्तर प्रदेश	426.251	312.9244	169.06261	266.7472	290.64425
28	उत्तराखंड	1401.19	441.61031	226.34415	212.9662	498.497
29	पश्चिम बंगाल	891.073	710.61953	757.25599	201.30866	385.29988
30	पुदुचेरी	0	0	0	0	5.22
31	लक्षद्वीप	193.272	462.859	462.086	269.9055	124.655
32	दिल्ली	0	0	0	0	0
33	त्रिपुरा	90.317	260.679	0	0	186.05514
34	लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश	0	223.17292	31.95	61.11591	0.06
	कुल योग	**12448.42614**	**8761.324971**	**8755.59767**	**5648.84523**	**9981.61203**

***